न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 04/2014
प्रविष्टि दिनांक 02.07.2014

सरकार जरिए तहसीलदार उनियारा

–प्रार्थी

बनाम

1–सत्यनारायण पुत्र रूपनारायण जाति ब्राहमण निवासी उनियारा जिला टोंक
2–महावीर पुत्र रूपनारायण जाति ब्राहमण निवासी उनियारा जिला टोंक
3–लाड कॅवर पुत्री रूपनारायण जाति ब्राहमण निवासी उनियारा जिला टोंक
4–प्रेम पत्नि स्व.रूपनारायण जाति ब्राहमण निवासी उनियारा जिला टोंक

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– (1) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार पेरोकार सरकार
(2) श्री रईस अहमद, अभिभाषक अप्रार्थीगण

अभिशंषा **दिनांक 30.11.2022**

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार उनियारा द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। आवेदन का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि भूमि साबिक खसरा नम्बर 1468 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा,खसरा नम्बर 1657 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा,खसरा नम्बर 1670/1 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा मुताबिक जमाबंदी वाके ग्राम उनियारा सम्वत 2034– 2037 मे मन्दिर श्री रणछोड जी वाके देहाजा पुजारी माधो पुत्र मांगीलाल ब्राहमण सा. देह के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि भू–प्रबंध के दोरान अवेधानिक तरीके से मनभर बाई धर्मपत्नि स्व. बृजमोहन व रूपनारायण पुत्र माधोलाल ब्राहमण सा. देह की खातेदारी मे दर्ज कर दी गई है। उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 390 रकबा 1.41 है0,खसरा नम्बर 391 रकबा 1.24 है0,व खसरा नम्बर 439/3978 रकबा 0.34 है0 कुल किता 3 रकबा 2.99 है0 है जो मुताबिक मिलान क्षैत्रफल के साबिक खसरा नम्बर से ही बने है। कस्बा उनियारा मे नवीन राजस्व ग्राम होने से वर्तमान खसरा नम्बर 367 रकबा 1.41 है0,,खसरा नम्बर 369 रकबा 1.24 है0 व खसरा नम्बर 424 रकबा 0.34 है0 बने है। मनभर बाई व रूपनारायण के फोत होने से नामान्तकरण संख्या 1077 दिनांक 24.11.2006 व नामान्तकरण संख्या 1204 दिनांक 10.12.2008 से सर्म्पूण किता 3 रकबा 2.99 है0 भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है।नकल जमाबंदी सम्वंत 2068–2071 वाके ग्राम उनियारा में भूमि खसरा नम्बर 367 रकबा 1.41 है0,खसरा नम्बर 369 रकबा 1.24 है0 व खसरा नम्बर 424 रकबा 0.34 है0 भूमि सत्यनारायण,महावीर पि.रूपनारायण व लाडकंवर पुत्री रूपनारायण तथा प्रेम पत्नि स्व0 रूपनारायण कोम ब्राहमण की खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार उनियारा ने अपने प्रार्थना पत्र में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 82 के अन्तर्गत इस आशय के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

प्रस्तुत किया है कि मूर्ति मन्दिर को शाश्वत नाबालिक माना गया है। मन्दिर मूर्ति भूमि पर किसी पुजारी अथवा सेवायत को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। अप्रार्थीगण के पक्ष में भरे गये नामान्तरकरण सं0 1077 व 1204 को निरस्त करने हेतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस अप्रार्थीगण की गई। बहस पेरोकार सरकार एंव अभिभाषक अप्रार्थीगण सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि भूमि साबिक खसरा नम्बर 1468 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा,खसरा नम्बर 1657 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा,खसरा नम्बर 1670/1 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा मुताबिक जमाबंदी वाके ग्राम उनियारा सम्वत 2034– 2037 मे मन्दिर श्री रणछोड जी वाके दे हाजा पुजारी माधो पुत्र मांगीलाल ब्राहमण सा. देह के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि भू–प्रबंध के दोरान अवेधानिक तरीके से मनभर बाई धर्मपत्नि स्व. बृजमोहन व रूपनारायण पुत्र माधोलाल ब्राहमण सा. देह की खातेदारी मे दर्ज कर दी गई है। मनभर बाई व रूपनारायण के फोत होने से नामान्तकरण संख्या 1077 दिनांक 24.11.2006 व नामान्तकरण संख्या 1204 दिनांक 10.12.2008 से सर्म्पूण किता 3 रकबा 2.99 है0 भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है। नकल जमाबंदी सम्वंत 2068–2071 वाके ग्राम उनियारा में भूमि खसरा नम्बर 367 रकबा 1.41 है0,खसरा नम्बर 369 रकबा 1.24 है0 व खसरा नम्बर 424 रकबा 0.34 है0 भूमि सत्यनारायण,महावीर पि.रूपनारायण व लाडकंवर पुत्री रूपनारायण तथा प्रेम पत्नि स्व0 रूपनारायण कोम ब्राहमण की खातेदारी में दर्ज है। मूर्ति मन्दिर को शाश्वत नाबालिक माना गया है। मन्दिर मूर्ति भूमि पर किसी पुजारी अथवा सेवायत को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। रेफरेंस प्रस्तुत करने बाबत कोई समय सीमा नियत नही है। अप्रार्थीगण के पक्ष में भरे गये नामान्तरकरण सं0 1077 व 1204 को निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दोराने बहस निवेदन किया कि तहसीलदार उनियारा द्वारा रेफरेंस मियाद बाहर पेश किया गया है। सम्वत 2034–2037 मे उक्त भूमि माधो पुत्र मांगीलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। माधो के जीवन काल मे तहसीलदार उनियारा द्वारा कोई आपत्ति पेश नही की गई है। माधो की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान के नाम वर्ष 2008 मे फोती का नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। नियमानुसार अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि को निरस्त नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं।

पेरोकार सरकार एंव अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। मुताबिक जमाबंदी वाके ग्राम उनियारा सम्वत 2034– 2037 मे खसरा नम्बर 1468 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा,खसरा नम्बर 1657 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 1670/1 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि मन्दिर श्री रणछोड जी वाके [illegible] व अपठित पुजारी माधो पुत्र मांगीलाल ब्राहमण सा. देह के नाम दर्ज है। मनभर बाई व रूपनारायण के फोत होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

नामान्तकरण संख्या 1077 दिनांक 24.11.2006 व नामान्तकरण संख्या 1204 दिनांक 10.01.2008 से सर्म्पूण किता 3 रकबा 2.99 है0 भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है।

अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा रेफरेंस मियाद बाहर पेश किया गया है,परन्तु राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत कोई मियाद का बिन्दू नही होता है। नियमानुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि को निरस्त नही किया जा सकता है,परन्तु भूमि अवैधानिक तरीके से खातेदारी मे दर्ज हुई है तो उसका रेफरेंस किया जा सकता है।

चूँकि विवादित उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी वाके ग्राम उनियारा सम्वत 2034–2037 मे खसरा नम्बर 1468 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा,खसरा नम्बर 1657 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 1670/1 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि मन्दिर श्री रणछोड जी वाके दे हाजा व अपठित पुजारी माधो पुत्र मांगीलाल ब्राहमण सा. देह के नाम दर्ज है। उक्त भूमि भू–प्रबंध के दोरान अवेधानिक तरीके से मनभर बाई धर्मपत्नि स्व. बृजमोहन व रूपनारायण पुत्र माधोलाल ब्राहमण सा. देह की खातेदारी मे दर्ज कर दी गई थी। मूर्ति मन्दिर को शाश्वत नाबालिक माना गया है। मन्दिर मूर्ति भूमि पर किसी पुजारी अथवा सेवायत को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। उपरोक्त विवेचन से प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि अप्रार्थीगण के नाम के नाम स्वीकार किया गया नामान्तकरण संख्या 1077 दिनांक 24.11.2006 व नामान्तरकण संख्या 1204 दिनांक 10.01.2008 को निरस्त कर नवीन ग्राम घोषित होने पर हाल आराजी खसरा नम्बर 367 रकबा 1.41 है0,खसरा नम्बर 369 रकबा 1.24 है0 व खसरा नम्बर 424 रकबा 0.34 है0 भूमि वाके ग्राम उनियारा को पुनः मन्दिर श्री रणछोड जी वाके दे हाजा भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested